सार्वजनिक उद्यम विभाग

सार्वजनिक उद्यम विभाग का गठन वर्ष 1974 में किया गया था । यह विभाग विधान सभा मार्ग, उ0प्र0 सचिवालय में स्थित है ।
कार्य दिवसः- सोमवार से शुक्रवार (अवकाश दिवस को छोड़कर)
कार्यालय समयः- 9.30 बजे से 6.00 बजें तक
सार्वजनिक उद्यम विभाग की वेबसाइट- http://sarvjanikudyam.up.nic.in

बिन्दु-(1) लोक प्राधिकरण की विशिष्टियॉ,कृत्य एवं कर्तव्य

(अ) विशिष्टियॉ

सार्वजनिक उद्यम विभाग की विशिष्टियॉ निम्न प्रकार है :-

1. सार्वजनिक उद्यम व्यूरो की आय-व्ययक, आडिट प्रतिवेदनों एवं अधिष्ठान संबंधी कार्य ।
2. सार्वजनिक उद्यमों के कर्मचारियों का वेतन निर्धारण, वेतन विसंगतियों का निस्तारण ।
3. सार्वजनिक उद्यमों के सेवकों को अनुमन्य विभिन्न भत्तों, परिलब्धियों तथा अन्य कार्मिक विषयों पर नीति निर्धारित करना ।
4. सार्वजनिक निगमों/ उपक्रमों के निदेशक मण्डलों में सदस्य/ निदेशक नियुक्त करने संबंधी कार्य ।
5. सार्वजनिक उद्यमों के मार्गदर्शन एवं निर्देश हेतु सामान्य नीति विषयक प्रश्नों पर विचार किये जाने हेतु शासन स्तरन पर सलाहकार समिति का गठन एवं उसकी बैठकों का आयोजन ।
6. सार्वजनिक उद्यमों/निगमों/ शासकीय विभागों के मध्य उत्पन्न विवादों के संबंध में गठित समिति से संबंधित कार्य ।
7. निगमों/ उपक्रमों/ सहायक कम्पनियों के अवशेष लेखों को पूर्ण कराया जाना ।
8. सार्वजनिक निगमों/ उपक्रमों में रु0 3500/- से अधिक वेतनमान वाले पदों पर चयन पदोन्नति संबंधी कार्य ।
9. सार्वजनिक उद्यमों की स्थापना के संबंध में परामर्श देना ।

(ब) कृत्य एवं कर्तव्य

1. सार्वजनिक उद्यम व्यूरो की आय-व्ययक, आडिट प्रतिवेदनों एवं अधिष्ठान संबंधी कार्य ।
2. सार्वजनिक उद्यमों के कर्मचारियों का वेतन निर्धारण, वेतन विसंगतियों का निस्तारण ।
3. सार्वजनिक उद्यमों के सेवकों को अनुमन्य विभिन्न भत्तों, परिलब्धियों तथा अन्य कार्मिक विषयों पर नीति निर्धारित करना ।
4. सार्वजनिक निगमों/ उपक्रमों के निदेशक मण्डलों में सदस्य/ निदेशक नियुक्त करने संबंधी कार्य ।
5. सार्वजनिक उद्यमों के मार्गदर्शन एवं निर्देश हेतु सामान्य नीति विषयक प्रश्नों पर विचार किये जाने हेतु शासन तरन पर सलाहकार समिति का गठन एवं उसकी बैठकों का आयोजन ।
6. सार्वजनिक उद्यमों/निगमों/ शासकीय विभागों के मध्य उत्पन्न विवादों के संबंध में गठित समिति से संबंधित कार्य ।
7. निगमों/ उपक्रमों/ सहायक कम्पनियों के अवशेष लेखों को पूर्ण कराया जाना ।
8. सार्वजनिक निगमों/ उपक्रमों में रु0 3500/- से अधिक वेतनमान वाले पदों पर चयन पदोन्नति संबंधी कार्य ।
9. सार्वजनिक उद्यमों की स्थापना के संबंध में परामर्श देना ।

स) सार्वजनिक उद्यम विभाग संगठनात्मक ढॉचा निम्नानुसार है :-

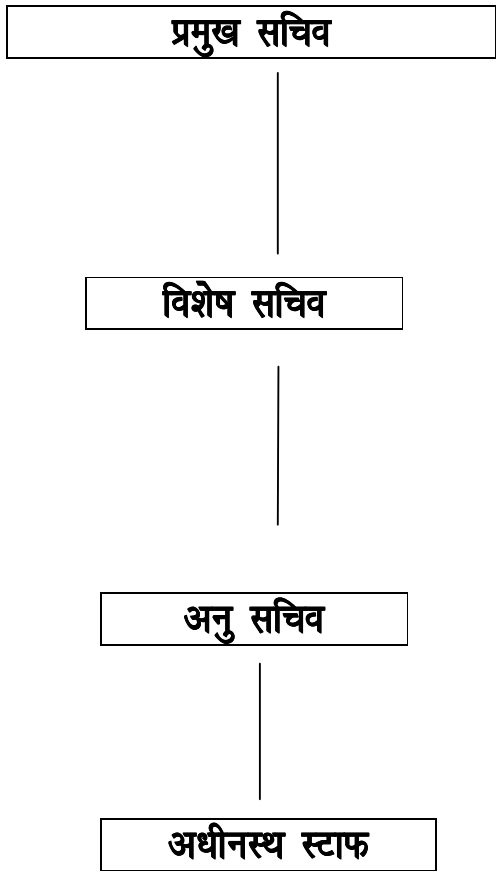

(द) सार्वजनिक उद्यम विभाग में दो अनुभाग है जिनको आवंटित कार्य निम्न प्रकार है :-

<u>सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1</u>

1. सार्वजनिक उद्यम व्यूरों की आय व्ययक, आडिट प्रतिवेदनों एवं अधिष्ठान संबंधी कार्य ।
2. सार्वजनिक उद्यमों के कर्मचारियों का वेतन निर्धारण, वेतन विसंगतियों का निराकरण ।
3. सार्वजनिक उद्यमों के सेवकों को अनुमन्य विभिन्न भत्तों, परिलब्धियों तथा अन्य कार्मिक विषयों पर नीति निर्धारित करना ।
4. सार्वजनिक उद्यमों के कर्मचारियों के प्रतिक्षण का आयोजन तथा विदेश यात्रा ।
5. सार्वजनिक उद्यमों के मुख्य कार्यकारियों एवं उच्चस्तरीय पदों पर नियुक्ति हेतु चयन प्रणाली का निर्धारण ।
6. सार्वजनिक उद्यमों की सेवा में विभिन्न वर्ग के आरक्षित पदों के लिए शासन की सामान्य नीति के आधार पर निर्देश/ मार्ग दर्शन जारी करना ।
7. गैर सरकारी निदेशकों/ अध्यक्षों को अनुमन्य सुविधाओं के संबंध में नीति निर्धारण ।
8. विभागीय आदेशों का सार-संग्रह एवं मैनुअल तैयार किया जाना ।
9. विभाग से संबंधित विधायी कार्यो का समन्वय ।
10. विभागीय अधिष्ठान कार्य ।
11. सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में हिन्दी/उर्दू के प्रयोग संबंधी शासन की नीति का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाना ।
12. निगमों/उपक्रमों के निदेशक मण्डलों में सदस्य/ निदेशक नियुक्त करने संबंधी कार्य ।
13. विषयगत विधान सभा/ विधान परिषद के प्रश्नों से संबंधित कार्य ।
14. सचिव समिति व स्टैक्चर्ड बैठक से संबंधित कार्य ।

सार्वजनिक उद्यम अनुभाग–2

1. सार्वजनिक उद्यमों के कार्यकलापों का अध्ययन/अनुश्रवण एवं उनकी कार्य प्रणाली में सुधार लाने हेतु निर्देश/मार्गदर्शन ।
2. सार्वजनिक उद्यम की स्थापना के संबंध में परमर्श देना ।
3. सार्वजनिक उद्यमों के मुख्य कार्यकारियों एवं शासन के स्तर पर अधिकारियों की बैठकों एवं संगोष्ठियों का आयोजन ।
4. सार्वजनिक उद्यम व्यूरों के कार्यकलापों की वार्षिक रिपोर्ट तैयार किया जाना ।
5. 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत आवश्यक परामर्श, मार्गदर्शन तथा आधार भूत सूचना का संकलन ।
6. सार्वजनिक उद्यमों के मार्गदर्शन एवं निर्देश हेतु सामान्य नीति विषयक प्रश्नों पर विचार किये जाने हेतु शासन स्तर पर सलाहकार समिति का गठन एवं उसकी बैठकों का आयोजन ।
7. सचिव समिति व स्टैक्चर्ड बैठक से संबंधित कार्य ।
8. सार्वजनिक उद्यमों की राज्य सहायता के संबंध में परामर्श एवं राज्य सहायता समिति की बैठकों का आयोजन करना ।
9. सार्वजनिक उद्यमों /निगमों/ शासकीय विभागों के मध्य उत्पन्न विवादों के संबंध में गठित समिति से संबंधित कार्य ।
10. निगमों/उपक्रमों/ सहायक कम्पनियों के अवशेष लेखों को पूर्ण कराया जाना ।
11. सार्वजनिक उपक्रमों/ निगमों के आडिट प्रतिवेदनों वाणिज्यिक का निस्तारण ।
12. विधान मण्डल के सार्वजनिक उपक्रम/ निगम संयुक्त समिति से संबंधित कार्य ।
13. सार्वजनिक निगमों/ उपक्रमों में रु0 3500/- से अधिक वेतनमान वाले पदों पर चयन पदोन्नति संबंधी कार्य ।
14. विषयगत विधान सभा/ विधान परिषद के प्रश्नों आदि से संबंधित कार्य ।